

09-10-2014

वादीगण द्वारा श्री अब्दुल सहीद खान अधिवक्ता।

प्रतिवादी क्रमांक-1 व 2 द्वारा श्री नारायण ठाकरे अधिवक्ता।

प्रतिवादी क्रमांक-3 से 5 पूर्व से एकपक्षीय।

प्रस्तावित पक्षकार द्वारा श्री वैभव मिश्रा अधिवक्ता।

प्रकरण आई.ए.नं. 1 से 4 पर तर्क हेतु नियत है।

इस आदेश द्वारा वादीगण के आवेदन पत्र अंतर्गत आदेश 23 नियम 1 व्य.प. सं. (आई.ए.नं. 4) का निराकरण किया जा रहा है।

वादीगण ने आवेदन पत्र अंतर्गत आदेश 23 नियम 1 व्य.प्र.सं. आई.ए.नं. 4 में निवेदन किया है कि वाद में त्रुटि है जिस कारण उन्हें वाद में सफलता मिलने की संभावना नहीं है। ऐसी स्थिति में वादीगण को दावा पुनः पेश करने के अधिकार के साथ यह दावा वापस किये जाने की अनुमति प्रदान की जाये।

प्रतिवादीगण ने आवेदन के जवाब में व्यक्त किया है कि वादी ने वाद में म.प्र.शासन को धारा-80 व्य.प्र.सं. का नोटिस प्रेषित किये बगैर प्रकरण प्रस्तुत किया है जो विधिक त्रुटि है न की प्रारूपिक त्रुटि है। वादीगण का दावा प्रचलन योग्य न होने के संबंध में प्रतिवादी का आवेदन पत्र लंबित है। अतएव वादीगण का आवेदन पत्र सव्यय निरस्त किया जावे।

उभयपक्ष को सुना गया।

प्रकरण का अवलोकन किया गया।

वादीगण ने अपने आवेदन में वादपत्र की कथित त्रुटि की जानकारी नहीं दी है। यद्यपि वादीगण को अपना वाद वापस लेने का अधिकार है। चूंकि वाद में वादीगण को अपना वाद सफलतापूर्वक पेश करने तथा त्रुटि को दूर करने का अधिकार प्राप्त है।

वाद में विचारण प्रारम्भ नहीं हुआ है तथा प्रकरण प्रारम्भिक अवस्था में है। वाद में प्रथम दृष्ट्या म.प्र.शासन के विरुद्ध आवश्यक पक्षकार होने के आधार पर चाहा गया है, किन्तु वैधानिक नोटिस वाद प्रस्तुति के पूर्व प्रेषित किया जाना एवं सूचना दिये बगैर वाद प्रस्तुति की अनुमति प्राप्त करना प्रकट नहीं होता है। अतएव उक्त तकनीकी आधार पर वादीगण का वाद निष्फल होने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता। उक्त परिस्थिति में प्रतिवादीगण को अनावश्यक रूप से परेशान होना पडा है। इस कारण वादी से प्रतिवादी पक्ष को प्रतिकर स्वरूप राशि दिलायी जा सकती है। अतएव न्याय की मंशा को देखते हुये वादीगण का आवेदन पत्र आदेश 23 नियम 1 व्य.प्र.सं. के प्रावधान अंतर्गत स्वीकार किया जाकर वादीगण को 1,000/-रुपये परिचय पर नया वाद प्रस्तुत करने की अनुमति के साथ इस वाद का प्रत्याहरण करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

वादीगण की ओर से प्रस्तुत मूल दस्तावेज विधिवत् वापस प्रदान किया जावे।

प्रकरण में व्यय तालिका तैयार की जावे।

प्रकरण का परिणाम व्यवहार पंजी अ में दर्ज किया जाकर प्रकरण समयावधि में अभिलेखागार में जमा किया जावे।

(सिराज अली)

व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2

बैहर